

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर


आज्ञा

कमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 1420 / 2024 दिनांक : 12.04.2024

इस कार्यालय के पूर्व प्रसारित आदेश क्रमांक स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश/1239/2024 दिनांक 03.04.2024 को निरस्त करते हुए सुश्री त्रिलोचना राठौड़ (RJ01524), अति. सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट कम-08, जोधपुर महानगर को दिनांक 15.04.2024 से 04.05.2024 तक 20 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 13.04.2024 से 14.04.2024 एवं 05.05.2024 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

सुश्री राठौड़ की अनुपस्थिति में अति. सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट कम-09, जोधपुर महानगर इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अति. सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट कम-08, जोधपुर महानगर के पद पर ही होने की संभावन है।


आज्ञा से,

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 12.04.2024

कमांक:—स्था.बी.2(4)/74/2023/2837

दिनांक : 12.04.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर महानगर को उनके पत्रांक 2454 दिनांक 12.04.2024 के सन्दर्भ में।
3. सुश्री त्रिलोचना राठौड़ (RJ01524), अति. सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट कम-08, जोधपुर महानगर।
4. अति. सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट कम-08, जोधपुर महानगर।
5. अति. सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट कम-09, जोधपुर महानगर।


सहायक रजिस्ट्रार